रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02112026-277583
CG-MH-E-02112026-277583

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 645] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

मुंबई, 2 नवम्बर, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2026

सं. फेमा.23(आर)/(2)/2026-आरबी.— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7, धारा 8, धारा 10 की उप-धारा (6) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026 [दिनांक 13 जनवरी 2026 की अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/2026-आरबी], (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह विनियमावली 1 अक्तूबर 2026 से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली में, विनियम 2 में, उप-विनियम (1), खंड (डी) के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात, " (डीए) "निवासी व्यष्टि" का अर्थ है भारत में निवासी व्यक्ति जो एक नैसर्गिक व्यक्ति है"

3.1 मूल विनियमावली में, विनियम 3 के, उप-विनियम (2) में, परंतुक (ए) तथा (बी) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(ए) सेवाओं के निर्यातक द्वारा ईडीएफ प्रस्तुत किया मान लिया जाएगा, जब उक्त निर्यातक, जो एक निवासी व्यष्टि है, सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त होने से संबंधित अपेक्षित विवरण, निर्यातक के खाते में जमा किए जाने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकृत व्यापारी को प्रदान करता है।

(बी) सेवाओं के निर्यातक द्वारा ईडीएफ प्रस्तुत किया मान लिया जाएगा, जब उक्त निर्यातक, जो निवासी व्यष्टि के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है, सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त होने से संबंधित अपेक्षित विवरण, निर्यातक के खाते में जमा किए जाने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकृत व्यापारी को प्रदान करता है, यदि ऐसी सेवा के लिए आवक विप्रेषण का मूल्य ₹10 लाख (या विदेशी मुद्रा में उसका समतुल्य) से अधिक नहीं है।"

3.2 मूल विनियमावली में, विनियम 3 में, उप-विनियम (2) में, परंतुक क्रमांक (ए), (बी) तथा (सी) को क्रमशः (सी), (डी) तथा (ई) किया जाएगा।

4. विनियम 18 में संशोधन:

मूल विनियमावली में, विनियम 18 में, उप-विनियम (1) में, खंड (डी) में, 'आयातक द्वारा घोषित और प्रस्तुत सेवा के आयात का ब्यौरा, दस्तावेजों की प्राप्ति के पांच कार्य दिवसों के भीतर आईडीपीएमएस में दर्ज करेगा।' इन शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात -"आयातक, जो निवासी व्यष्टि के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है और जहाँ बीजक अथवा संविदा का मूल्य ₹10 लाख (अथवा विदेशी मुद्रा में उसका समतुल्य) से अधिक है, द्वारा प्रस्तुत सेवा के आयात का ब्यौरा प्राप्ति के पांच कार्य दिवसों के भीतर आईडीपीएमएस में दर्ज करेगा।"

एन. सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./421/2026-27]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली, अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/2026-आरबी दिनांक 13 जनवरी 2026, भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग-III, खण्ड 4 दिनांक 15 जनवरी 2026 में प्रकाशित की गयी थी।

i. अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(1)/ 2026-आरबी दिनांक 22 सितंबर 2026 [विदेशी मुद्रा प्रबंध(माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली 2026], भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग-III, खण्ड 4 दिनांक 24 सितंबर 2026 में प्रकाशित की गयी थी।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

Mumbai, the 2nd November, 2026

Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2026

No. FEMA 23(R)/(2)/2026-RB.— In exercise of the powers conferred by Section 7, Section 8, sub-section (6) of Section 10 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026 [Notification No. FEMA 23(R)/2026-RB dated January 13, 2026] (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), namely:

1. **Short title and commencement: -**

(1) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force from October 01, 2026.

2. In the principal regulations, in regulation 2, sub-regulation (1), after clause (d), the following shall be inserted, namely: - " (da) "resident individual" means a person resident in India who is a natural person."

3.1 In the principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (2), the following shall be inserted as provisos (a) and (b), namely:-

"(a) the exporter of services shall be deemed to have submitted the EDF when such exporter, being a resident individual, provides information required in relation to the receipt of payment for such services to the Authorised Dealer for crediting the account of the exporter.

(b) the exporter of services shall be deemed to have submitted the EDF when such exporter, being a person other than a resident individual, provides information required in relation to the receipt of payment for such services to the Authorised Dealer for crediting the account of the exporter if the value of the inward remittance for such service is not more than ₹10 Lakh (or its equivalent in foreign currency)."

3.2 In the principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (2), the proviso numbers (a), (b) and (c), shall be renumbered as (c), (d) and (e).

4. Amendment to regulation 18:-

In the principal regulations, in regulation 18, in sub-regulation (1), in clause (d), for the words "shall enter details of import of service, in IDPMS, as declared and submitted by the importer, within five working days of receipt of documents", the following shall be substituted, namely: - "shall enter details of import of service in IDPMS, as furnished by the importer who is a person other than a resident individual and where the invoice or the contract value is more than ₹10 Lakh (or its equivalent in foreign currency), within five working days of receipt of details".

N. SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./421/2026-27]

Footnote: The Principal Regulations, Notification No. FEMA 23(R)/2026-RB dated January 13, 2026, were published in the Official Gazette - Extraordinary - Part-III, Section 4 on January 15, 2026 and subsequently amended, vide:

i. Notification No. FEMA 23(R)/(1)/2026-RB dated September 22, 2026 [Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2026] published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part III, Section 4 on September 24, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA